



347/1

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

पत्रांक : 9036 /28/76/एक/2018-19

दिनांक : 04 जनवरी 2019

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-मऊ।

विषय : मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण
महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में शासन द्वारा स्वीकृत की गई निम्न परियोजनाओं की प्रथम किश्त की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹ में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
एच०डी०एफ०सी० बैंक	50100158332964	IFSC Code HDFC0001910	319.287

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
1	मऊ	मु०अ०-37	न०५० वलीदपुर	वार्ड न० 07 मुहल्ला भीरा उत्तरी कोट में मदरसा निस्वां से न्याज हाजी होटल तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	8.701
2	मऊ	मु०अ०-37	न०५० वलीदपुर	वार्ड न० 07 मुहल्ला भीरा उत्तरी कोट में मुख्तार के मकान से बढई के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	8.701
3	मऊ	मु०अ०-37	न०५० वलीदपुर	वार्ड न० 07 मुहल्ला भीरा उत्तरी कोट में सत्तार के मकान से बाकी के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	8.657
4	मऊ	मु०अ०-37	न०५० वलीदपुर	वार्ड न० 07 मुहल्ला भीरा उत्तरी कोट में राजकुमार के मकान से सलाम के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	5.899
5	मऊ	मु०अ०-37	न०५० वलीदपुर	वार्ड न० 13 मुहल्ला काजीटोला में रामप्रवेश चौरसिया के घर से ट्यूबवेल तक इण्टलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	8.336
6	मऊ	मु०अ०-37	न०५० वलीदपुर	वार्ड न० 14 मुहल्ला भीरा दक्षिणी में खुरम के मकान से फजले हसन के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	8.666
7	मऊ	मु०अ०-37	न०५० वलीदपुर	वार्ड न० 14 मुहल्ला भीरा दक्षिणी में मुस्तफा के मकान से शाहबल्ली के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	8.603

V



347/2

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027
Website-sudaup.org

क्र०सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व गलिन बस्ती विकास योजनामार्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किरत)
8	मऊ	मु०अ०-३७	न०प० वलीदपुर	वार्ड नं० 14 मुहल्ला भीरा दक्षिणी में भवानी सेठ के मकान से रामाशीष का मकान होते हुए आटोस्टैण्ड तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	8.657
9	मऊ	मु०अ०-३७	न०प० वलीदपुर	वार्ड नं० 14 मुहल्ला भीरा दक्षिणी में मस्जिद दालान न्याज के घर से होते हुए मकसूद के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	8.648
10	मऊ	मु०अ०-३७	न०प० वलीदपुर	वार्ड नं० 15 मुहल्ला भीरा पूर्वी में पल्टन के मकान से नईम के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	8.532
11	मऊ	मु०अ०-३७	न०प० वलीदपुर	वार्ड नं० 15 मुहल्ला भीरा पूर्वी में शमशुद्दीन के मकान से इरफान के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	8.532
12	मऊ	मु०अ०-३७	न०प० वलीदपुर	वार्ड नं० 15 मुहल्ला भीरा पूर्वी में नजीबुल्लाह के घर से मुजीबुर्रहमान के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	8.657
13	मऊ	मु०अ०-३७	न०प० वलीदपुर	वार्ड नं० 16 मुहल्ला परासखाड में इम्तेखार के मकान से मस्जिद तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	8.568
14	मऊ	मु०अ०-३७	न०प० वलीदपुर	वार्ड नं० 16 मुहल्ला परासखाड में मोलवी इकबाल के मकान से अमजद अली के घर तक के घर तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	8.568
15	मऊ	मु०अ०-३७	न०प० वलीदपुर	वार्ड नं० 16 मुहल्ला परासखाड में मुस्ताक के मकान से नफीसुल के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	8.568
16	मऊ	मु०अ०-३७	न०प० वलीदपुर	वार्ड नं० 16 मुहल्ला परासखाड में इंद्रीश के मकान से नई मस्जिद तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	8.470
17	मऊ	म०ब०-८३	न०प० मऊ	वार्ड नं० 02 बड़ा पोखरा में श्री प्रकाश गुप्ता के मकान से लक्ष्मी पाण्डेय के मकान तक कवर्ड नाली व इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	1.237
18	मऊ	म०ब०-८३	न०प० मऊ	वार्ड नं० 02 बड़ा पोखरा में सभासद इन्दुमति के मकान से कमलू सोनकर के मकान तक कवर्ड नाली व इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	4.324
19	मऊ	म०ब०-८३	न०प० मऊ	वार्ड नं० 02 पूरा दुर्जन राय के चमार टोला में अमरनाथ भारती के मकान से प्रभु भारती के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग कार्य।	2.767



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र०सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
20	मऊ	म०ब०-83	न०प० मऊ	वार्ड नं० 02 पुरा दुर्जन राया के मो० बड़ा पोखरा में शम्भू के मकान से तरुण यादव के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग कार्य।	3.256
21	मऊ	म०ब०-83	न०प० मऊ	वार्ड नं० 02 पुरा दुर्जन राय में मंजू देवी के मकान से लेकन नन्दू धोबी के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग कार्य।	4.973
22	मऊ	म०ब०-83	न०प० मऊ	वार्ड नं० 02 पुरा दुर्जन राय में गनेश अग्रवाल के मकान से शिवशंकर गुप्ता के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग कार्य।	3.443
23	मऊ	म०ब०-83	न०प० मऊ	वार्ड नं० बड़ा पोखरा में राम प्रति मौर्या के मकान से रेनू मिश्रा बिटू श्रीवास्तव के मकान तक कवर्ड नाली व इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	20.027
24	मऊ	म०ब०-83	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 02 बड़ा पोखरा में रामस्वरूप के मकान से राम अवध का मकान होते हुए चन्द्र यादव के मकान तक कवर्ड नाली व इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	5.400
25	मऊ	म०ब०-83	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 02 बड़ा पोखरा में जगदीश पाल के मकान से धर्म देव के मकान तक कवर्ड नाली व इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	20.774
26	मऊ	म०ब०-83	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 02 बड़ा पोखरा में नई बस्ती बिटू श्रीवास्तव के मकान से रामा नन्द का मकान होते हुए गोरख सिंह चौहान के मकान तक कवर्ड नाली व इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	9.022
27	मऊ	म०ब०-83	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 2 दशई पोखरा जहागीराबाद कॉलोनी में गोपाल नारायण के मकान से अशोक सिंह का मकान होते हुए राजेन्द्र चौहान के मकान तक कवर्ड नाली व इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	12.812
28	मऊ	म०ब०-83	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 02 पूरा दुर्जनराय फेकु सोनकर से लेकन मुस्तफा घमन के मकान तक कवर्ड नाली का कार्य।	2.393
29	मऊ	म०ब०-83	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 02 पूरा दुर्जनराय में रमेश शुक्ला के दरवाजे से शुभकान सिंह के मकान होते हुए रामेन्द्र सिंह के मकान तक कवर्ड नाली व इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	7.981
30	मऊ	म०ब०-83	न०प० वलीदपुर	वार्ड नं० 01 के मो० कोडरा में मोलवी नेयाज के मकान से रेयाज के मकान तक कवर्ड नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	8.648
31	मऊ	म०ब०-83	न०प० वलीदपुर	वार्ड नं० 01 के मो० कोडरा में अजीजुर्रहमान के मकान से आरिफ के मकान तक कवर्ड नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	8.603



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र०सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किस्त)
32	मऊ	म०ब०-83	न०प० वलीदपुर	वार्ड न० 01 के मो० कोडरा में हाफिज इकबाल के मकान से जहीर कुरैशी के मकान तक कवर्ड नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	8.639
33	मऊ	म०ब०-83	न०प० वलीदपुर	वार्ड न० 03 के मो० डिहवारा में मुख्तार के मकान से एहसान के मकान तक कवर्ड नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	8.701
34	मऊ	म०ब०-83	न०प० वलीदपुर	वार्ड न० 03 के मो० डिहवारा में गुलाब नबी के खेत से मुजीबुर्रहमान के खेत तक कवर्ड नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	8.105
35	मऊ	म०ब०-83	न०प० वलीदपुर	वार्ड न० 03 के मो० डिहवारा में रईस के मकान से लालचन्द के मकान तक कवर्ड नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	8.657
36	मऊ	म०ब०-83	न०प० वलीदपुर	वार्ड न० 03 के मो० डिहवारा में लक्ष्मी जायसवाल के मकान से गफफार के मकान तक कवर्ड नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	8.701
37	मऊ	म०ब०-83	न०प० वलीदपुर	वार्ड न० 03 के मो० डिहवारा में राधेश्याम गुप्ता के मकान से मुहम्मद के मकान तक कवर्ड नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	8.701
38	मऊ	म०ब०-83	न०प० वलीदपुर	वार्ड न० 03 के मो० डिहवारा में एनायतुल्लाह के मकान से कोतवारी के मकान तक कवर्ड नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	8.703
39	मऊ	म०ब०-83	न०प० वलीदपुर	वार्ड न० 03 के मो० डिहवारा में शब्बीर के मकान से हनीफ के घर तक नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	8.657
	योग				319.287

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जाये उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-suda.org

- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की देरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि० अधि०, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक